



कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा
संभाग-दुर्ग

जिला पंचायत के सामने, जी.ई. रोड दुर्ग, छ.ग.
Phone : 0788-2962296 E-mail : jddurg18@gmail.com

क्रमांक / स्था.03 / शिक्षक / सीधी भर्ती / अंग्रेजी माध्यम / 2022 / 1577 दुर्ग, दिनांक 30/03/2022
// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ आर नं. 1103/2019/20-दो अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था./विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422-पी.ए. अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 21.11.2019 की वरीयता के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत शिक्षक अंग्रेजी माध्यम विषय विज्ञान के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर शिक्षक अराजपत्रित तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है:-

रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
13010103	RUPESH KUMAR DESHLAHARE/ LOCHAN LAL DESHLAHARE	SC	140, Ward no. - 11, Ward no. - 11, Post-Dumardihkhurd, Pin code- 491441, District-Rajnandgaon, CHHATTISGARH	शा.पू.मा.शाला सहसपुर लोहारा, विकासखण्ड-स. लोहारा, जिला-कबीरधाम	SC

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

- चयनित शिक्षक 12 अप्रैल 2022 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- चयनित शिक्षक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों का मिलान करायेंगे, तदुपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
- छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टापपेन्ड देय होगा-
प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टापपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
- छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कंडिका 6 की उप कंडिका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नवनियुक्त शिक्षक ई (एल.बी.)/टी (एल.बी.) संवर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होगी।



कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा
संभाग-दुर्ग

जिला पंचायत के सामने, जी.ई. रोड दुर्ग, छ.ग.

Phone : 0788-2962296

E-mail : jddurg18@gmail.com

नव नियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

5. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है । अभ्यर्थी यह शपथ पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी ।
6. चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी ।
7. चयनित शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी ।
8. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी । नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा ।
9. प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है ।
10. पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा ।
11. संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी । इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा ।
12. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है । अतः अभ्यर्थी को जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी ।
13. उपरोक्त आदेश माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय विलासपुर में लंबित याचिका डब्ल्यू.पी.एस. 591, 592, 593, 594 वर्ष 2012 डब्ल्यू.पी.एस. 10511/2019 तथा 08/2020 तथा यह नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित तथा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी ।

30.3.22
(पी.के. पांडेय)

संयुक्त संचालक, शिक्षा

संभाग दुर्ग (छ.ग.)



कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा
संभाग-दुर्ग

जिला पंचायत के सामने, जी.ई. रोड दुर्ग, छ.ग.

Phone : 0788-2962296

E-mail : jddurg18@gmail.com

क्रमांक/स्था.03/शिक्षक/सीधी भर्ती/अंग्रेजी माध्यम/2022/1578 दुर्ग, दिनांक 30/03/2022
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ ।
3. महालेखाकर, छत्तीसगढ़, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
4. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ ।
5. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ ।
6. आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग को सादर सूचनार्थ ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा को सूचनार्थ ।
8. समस्त कोषालय अधिकारी दुर्ग संभाग को सूचनार्थ ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग/बालोद/बेमेतरा/राजनांदगांव/कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख हैं कि चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने हेतु अनुमति प्रदान करें ताकि चयनित शिक्षक को विलंब न हो ।
10. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्ग संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख हैं कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे ।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

20-3-22

(पी.के. पांडेय)

संयुक्त संचालक, शिक्षा

संभाग दुर्ग (छ.ग.)